भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1809
दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

राजस्थान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शन

1809. श्रीमती संजना जाटवः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान के प्रत्येक जिले में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए घरेलू नल जल कनेक्शन जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं;
(ख) राजस्थान में ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या की तुलना में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को चालू घरेलू नल कनेक्शन मिल रहे हैं;
(ग) क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नल जल कनेक्शन वाले ऐसे अधिकांश ग्रामीण परिवार गांवों में नल कनेक्शन के लिए बोरवेल की कमी के कारण जल प्राप्त कर पाने में असमर्थ हैं;
(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा काफी धांधली की गई है; और
(ङ) यदि हां, तो ऐसे ठेकेदारों के नाम दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाली नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भागीदारी में लागू होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन

और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, राज्य में 15.08.2019 को जेजेएम के शुभारंभ के समय, केवल 11.68 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 47.06 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 02.12.2024 तक, राज्य के 107.30 लाख ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 58.74 लाख (57.74%) ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

(ग) राजस्थान राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कीम का कार्य शुरू करने से पूर्व जल स्रोत के निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत जल स्रोत के निर्माण के बिना कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन जारी किया गया है।

इसके अलावा, राज्य ने सूचित किया है कि भरतपुर जिले के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, 597 गांवों को कवर करने वाली 570 जल आपूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 281 गांवों में योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 13 गांव ऐसे हैं जो बोरवेल सूखने के कारण आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों में नल जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। डीग जिले में, 164 गांवों को कवर करने वाली 121 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 45 गांवों में योजनाएं एफएचटीसी के साथ पूरी की गई हैं। अलवर जिले के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, 80 गांवों को कवर करने वाली 71 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 17 गांवों में योजनाएं एफएचटीसी के प्रावधान के साथ पूरी की गई हैं और 10 गांवों में बोरवेल सूखने के कारण कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शनों में आंशिक व्यवधान का अनुभव किया गया है।

(घ) और (ङ) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, राजस्थान सार्वजनिक प्रापण पारदर्शिता अधिनियम (आरटीपीपी) 2012 और आरटीपीपी नियमावली 2013 के प्रावधानों के अनुसार जेजेएम कार्यों के लिए निविदाएं ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर ऑनलाइन आमंत्रित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया गया है कि अब तक किसी भी ठेकेदार को जल जीवन मिशन कार्यों में हेराफेरी के लिए चूककर्ता सिद्ध नहीं किया गया है। तथापि, जाली प्रमाण-पत्रों के कारण 02 फर्मों को काली सूची में डाल दिया गया था और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी तथा फर्मों के प्रोपराइटर को गिरफ्तार किया गया था।

*****